छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

637
642

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक फरवरी, 2016

क्रमांक एफ 20–47/2013/ग्यारह/(छै) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.03.2015 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम – 2015''** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय–2 में पैरा–2 के उप पैरा–7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये अर्थात :–

2.7 – भू–आबंटन हेतु आवेदन पत्र विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑन–लाईन प्रस्तुत किया जायेगा। ऑन–लाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग यथाशीघ्र व्यवस्था करेगा। विभाग के वेब–साईट में आवेदन का प्रारूप उपलब्ध होगा।

तथापि, संचालक उद्योग के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार के लिये भूमि आबंटन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रकरणों में ऑन लाईन प्रक्रिया से आगामी आदेश तक अथवा ऑन लाईन होने तक, जो भी पहले हो, तक छूट दी जाती है।

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

IDS
19 FEB 2016
217
22/2/16

पृष्ठा. क्र. एफ 20–47/2013/ग्यारह/(छै)
नया रायपुर दिनांक 18 फरवरी 2016

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर
2. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
3. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग